

[2001] 2 उम० नि० प० 161

बिरला कारपोरेशन लिमिटेड(मैसर्स)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

11 मार्च, 1999

न्यायमूर्ति एस० पी० भरूचा, न्यायमूर्ति एस० एस० मोहम्मद क़ादरी और न्यायमूर्ति आर० सी० लाहोटी

(राजस्थान टैक्स ऑन एण्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स इन्टू लोकल ऐरियाज़ ऐक्ट राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में मोटर यानों के प्रवेश पर कर, अधिनियम) 1998 — धारा 4[सपटित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956(1956 का 74) — धारा 2(1)] — प्रवेश कर — चूंकि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एक विशेष विक्रय कर विधि है और इसके अधीन कर धारा 4(2) में दी गई "साधारण विक्रय कर से संबंधित विधियां" अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन संदत्त कर पर छूट का फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा।

निर्धारिती राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का विनिर्माता है। इसने राजस्थान राज्य में अपने कारबार के प्रयोजन हेतु डम्पर क्रय किए। यह क्रय तमिलनाडु राज्य से किया गया। इस पर कर का संदाय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया। जब डम्पर राजस्थान में लाए गए थे, तब राजस्थान टैक्स ऑन एण्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स इन्टू लोकल ऐरियाज़ ऐक्ट, (राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम) 1988 के उपबंधों के अधीन इस पर प्रवेश कर की मांग की गई। निर्धारिती ने उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के उपबंधों का अवलंब लेते हुए, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर पर रिबेट(छूट) का दावा किया, जो कि उसने डम्परो पर संदत्त किया था। निर्धारिती को ऐसी रिबेट का फायदा दिए बिना ही निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की मांग किए जाने पर, अपीलार्थी ने, कराधान प्राधिकारियों को इस संबंध में निदेश देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की। यह रिट याचिका राजस्थान कराधान अधिकरण को अंतरित कर दी गई और इसे आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील फाइल की गई। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—प्रस्तुत मामले में प्रश्न यह है कि क्या "साधारण विक्रय कर से संबंधित ऐसी विधि जो किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है" के अंतर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम भी आता है। साधारण विक्रय कर विधि जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और विशेष विक्रय कर विधि जो विनिर्दिष्ट माल के या विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है, के मध्य स्पष्ट भिन्नता है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर स्पष्टतः दूसरी कोटि में आएगा। इस बात का पता संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के प्रति निर्देश करने पर भी चल जाएगा, जो राज्य को माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए सशक्त करती है और सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 92-क, जो केन्द्र को तब माल के विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहीत करने के लिए सशक्त करती है, जब यह अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है। (पैरा 3 और 5)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1970] (1970) 3 एस० सी० सी० 869 :

उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और एक अन्य।

6

सिविल अपीली अधिकारिता : 1997 की सिविल अपील सं० 760.

1994 की खंड न्यायपीठ सिविल रिट याचिका सं० 2275 में राजस्थान कराधान अधिकरण, जोधपुर के तारीख 27 सितम्बर, 1996 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से  
प्रत्यर्थियों की ओर से

सर्वश्री बी० सेन और प्रवीण कुमार  
सर्वश्री एस० के० जैन और ए० पी० धमीजा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस० पी० भरूचा ने दिया।

**न्या० भरूचा** — निर्धारिती राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का विनिर्माता है। इसने राजस्थान राज्य में अपने कारबार के प्रयोजन हेतु डम्पर क्रय किए। यह क्रय तमिलनाडु राज्य से किया गया। इस पर कर का संदाय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया। जब डम्पर राजस्थान में लाए गए थे, तब (राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में मोटर यानों के प्रवेश पर कर राजस्थान टैक्स ऑन एण्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स इन्टू लोकल ऐरियाज़ ऐक्ट अधिनियम) 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अधीन इस पर प्रवेश कर की मांग की गई। निर्धारिती ने उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के उपबंधों का अवलंब लेते हुए, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर पर रिबेट(छूट) का दावा किया, जो कि उसने डम्पर्स पर संदत्त किया था। निर्धारिती को ऐसी रिबेट का फायदा दिए बिना ही निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की मांग किए जाने पर, अपीलार्थी ने, कराधान प्राधिकारियों को इस संबंध में निदेश देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की। यह रिट याचिका राजस्थान कराधान अधिकरण को अंतरित कर दी गई और इसे आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

2. उक्त अधिनियम राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर राज्य में उपयोग और विक्रय के लिए मोटर यान के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण उपबंधित करता है। कर का भार धारा 3 के अधीन उपबंधित किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि यदि मोटर यानों का प्रवेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर राज्य में उनके उपयोग अथवा विक्रय के लिए किया जाता है तो मोटर यानों के क्रय मूल्य पर ऐसी दर अथवा दरों पर कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 के अधीन मोटर यानों के लिए अधिसूचित की गई हैं। हमारे प्रयोजन के लिए धारा 4(2) के उपबंध सुसंगत हैं। धारा 4 कर दायित्व में कटौती उपबंधित करती है और इसकी उपधारा (2) इस प्रकार है:—

“4(2). इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर की रकम ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाए, ऐसे आयातकर्ता द्वारा, जिसने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का 2) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी न होते हुए, उस राज्य में अपने स्वयं के उपयोग के लिए मोटर यान का क्रय किया था, साधारण विक्रय कर से संबंधित ऐसी विधि के अधीन, जो किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त हों, संदत्त कर की रकम, यदि कोई हो, की सीमा तक कम की जाएगी।”

3. प्रश्न यह है कि क्या “साधारण विक्रय कर से संबंधित ऐसी विधि जो किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है” के अंतर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम भी आता है।

4. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(झ) में विक्रय कर विधि और साधारण विक्रय कर विधि को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:—

“2(झ) 'विक्रय कर विधि' से किसी राज्य या उसके भाग में तत्समय प्रवृत्त कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर या उस निमित्त अभिव्यक्त रूप से वर्णित किसी विनिर्दिष्ट माल पर करों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और 'साधारण विक्रय कर विधि' से किसी राज्य या उसके भाग में तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधि अभिप्रेत है जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है।”

\* अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :—

“4(2). The amount of tax leviable under this Act shall subject to such conditions as may be prescribed, be reduced to the extent of the amount of tax paid, if any, under the law relating to General Sales Tax as may be in force in any other State or Union Territory by an importer who, not being a dealer registered under the provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 2 of 1954) had purchased the motor vehicle in that State for his own use.”

5. इस प्रकार, साधारण विक्रय कर विधि जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और विशेष विक्रय कर विधि जो विनिर्दिष्ट माल के या विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है, के मध्य स्पष्ट भिन्नता है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर स्पष्टतः दूसरी कोटि में आएगा। इस बात का पता संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के प्रति निर्देश करने पर भी चल जाएगा, जो राज्य को माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए सशक्त करती है और सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 92-क, जो केन्द्र को तब माल के विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहीत करने के लिए सशक्त करती है, जब यह अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने हमारा ध्यान उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और एक अन्य<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर आकृष्ट किया है। उड़ीसा विक्रय कर अधिनियम, 1947 निर्धारिती को रिबेट देगा यदि वह देय कर का तत्परता से संदाय कर देता है। प्रश्न यह था कि क्या उक्त उद्दीपक संग्रहण की प्रक्रिया का ही भाग है, जिस दशा में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9(3) के कारण यह निर्धारिती को इसके अधीन उपलब्ध होगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संग्रहण को शीघ्र और सुकर बनाने के लिए रिबेट का प्रस्ताव किया गया था। यह संग्रहण के प्रोत्साहन के लिए आशयित था। इसलिए, यह संग्रहण की प्रक्रिया का भाग था और धारा 9(3) के कारण यह ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध था, जो उड़ीसा विक्रय कर अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विहित समय के भीतर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन देय कर का संदाय करता है। हम नहीं समझते कि यह निर्णय इस मामले में कोई सहायक होगा। उक्त निर्णय का आधार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम का एक उपबंध, अर्थात् धारा 9(3) था, वर्तमान मामले में ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

7. अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका में उक्त अधिनियम की धारा 4(2) की सांविधानिकता का प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ था, इसलिए इस बिन्दु पर हम अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते हैं।

8. अपील खर्च सहित खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

उ०/ला०

[2001] 2 उम नि प 163

गुरमेज सिंह और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

12 मार्च, 1999

न्यायमूर्ति एस० सगीर अहमद और न्यायमूर्ति एम० बी० शाह

पेप्सू लैंड टेनेन्सी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1955 (पेप्सू भू अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1955) (1955 का 13) — धारा 3 — अनुज्ञेय सीमा — अधिक से अधिक 30 मानक एकड़ और जहां 30 मानक एकड़ को सामान्य एकड़ में संपरिवर्तित किया जाता है और वह 60 एकड़ से अधिक हो जाता है, वहां जोत की अनुज्ञेय सीमा 60 एकड़ होगी।

पेप्सू लैंड टेनेन्सी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1955 (पेप्सू भू अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1955) (1955 का 13) — धारा 2(क) सपठित धारा 20 और 22 — ऐसे भूस्वामी द्वारा जिसने अपनी व्यक्तिगत खेती के प्रयोजन

<sup>1</sup> (1970) 3 एस् सी० सी० 869.